उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ
(समाज कल्याण)

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2021–22 में समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आपूर्त्ति सामग्री मद में आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपयोग में लाये जाने वाले सामग्री यथा–सेनीटाईजर, मास्क, दस्ताना, तौलिया, साबुन, साबुन दानी, नेलकटर, लोहे का बालटी, प्लास्टिक बालटी, अल्मुनियम मग, प्लास्टिक मग, नारियल झाड़ू, फूल झाड़ू, जिस्ता कागज (रूलदार एवं सादा), कलम, पेंसिल, स्केल, स्टेपलर, स्टाम्प पेड, स्लेट, गिनती फ्रेम, चौक, प्रिन्ट पंजी (सर्वेक्षण पंजी, भण्डार पंजी, प्रतिरक्षण पंजी, उपस्थिति पंजी, दैनिक दैयनन्दिनी पंजी, टी0एच0आर0 पंजी, जन्म–मृत्यु पंजी इत्यादि) रूलदार पंजी, कैलकुलेटर, एम0पी0आर0 प्रपत्र, राष्ट्रीय ध्वज, फ्लाईलीफ, गार्ड फाईल, कंघी, ऐनक, कैलेण्डर (विभिन्न प्रकार का), फोल्डिग ब्लैक बोर्ड, स्टील का बक्शा, प्लास्टिक कुर्सी, छोटा दरी एवं बड़ा दरी इत्यादि का दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफे में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला समाज कल्याण कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ में जमा करने की अंतिम तिथि **08.12.2021** को **11:30** बजे पूर्वाह्न तक होगी एवं उसी दिन **03:30** बजे अपराह्न में उप विकास, सरायकेला–खरसावाँ के सभा कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा की शर्त्ते कार्यालय के सूचना पट्ट एवं www.seraikela.nic.in पर उपलब्ध है।

ह0
उप विकास आयुक्त
सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक 1171 /स0क0, दिनांक 22.11.2021

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (डी0आई0ओ0), सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को www.seraikela.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. अपर समाहर्त्ता, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को www.seraikela.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

22/11
उप विकास आयुक्त
सरायकेला–खरसावाँ।

Scanned by CamScanner

[redacted]

निविदा की शर्त्ते :–

तकनिकी बीड

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के पदनाम से 50,000/– (पचास रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
2. आँगनबाड़ी केन्द्र की आकस्मिकता की सामग्री जिले के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपूर्त्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
3. विगत तीन वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का आयकर (ITR) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाताओं द्वारा यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नहीं है।
5. निविदादाता का GST निबंधन एवं रिटर्न 3 (B) का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा दाता को Jharkhand Professional Tax (JPT) एवं अपलोडेड कर भुगतान का साक्ष्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को तकनीकि बीड के साथ MSME/उद्यम निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को फर्म का ट्रेड लाईसेन्स जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाताओं को निविदा के साथ तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड का अलग–अलग लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा। सर्वप्रथम तकनीकि बीड खोला जायेगा एवं उसमें सभी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा एवं विचार किया जायेगा।
10. निविदादाताओं को उक्त सामग्री का नमूना निविदा खोलने के समय क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सामग्रियों की आपूर्त्ति आदेश प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूपेन आपूर्त्ति करना होगा, अन्यथा नियामानुसार कार्रवाई की जायेगी।
12. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए।
13. सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. निर्धारित समय बीत जाने के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

वित्तीय बीड

1. **निविदादाता को सामग्रियों** का दर सभी करों सहित दर्शाना होगा।
2. **आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी भी** परिस्थिति में आपूर्त्ति करने हेतू अग्रिम राशि देय नहीं होगा।

22/11

उप विकास आयुक्त
सरायकेला–खरसावाँ।

Scanned by CamScanner